प्र.सं. ..../ बाबा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/2/20	वकील प्रार्थी उप० । प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नवीन मार्ग सृजित किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। TBR को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (signature)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी [illegible] आर.ए.एस.)

मिसल नंबर	तारीख दायरा	तारीख फैसला
428/अधिनियम/2023	03.09.2023	12.02.2026

जीतमल पुत्र श्री [illegible] उम्र 72 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, गोपालपुरा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान। प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये जरिये तहसीलदार उप तहसील डाबी जिला बूंदी राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान। अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रार्थी := श्री [illegible]सिंह सोलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण := पेशेकार सरकार

= : : निर्णय : : =
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क आर.टी. एक्ट)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत नवीन रास्ता की अनुज्ञा दिये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार भूमि खसरा संख्या 515 रकबा 0.2914 हैक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा भू.अभि.नि. डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि पर आने-जाने के लिए, कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मौके पर रास्ता मौजूद है, जो कि सिवाई चक भूमि खसरा सं. 516, 517, 526 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में स्थित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है, आगे जाकर यह रास्ता ग्राम लक्ष्मीपुरा से ग्राम गोपालपुरा देवनारायण मन्दिर जाने वाले रास्ते पर मिलता है जिसके खसरा सं. 529 है जो वर्तमान में चालू हालात मे है। प्रार्थी को चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पंहुच के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नही होने के कारण कोई भी व्यक्ति उक्त रास्ते को बन्द कर देता है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 516 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा सं. 517 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा सं. 526 रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा भू.अभि. नि. डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है में से 15 फिट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से नवीन मार्ग राजस्व रिकार्ड में सृजित होगा। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से आज से लगभग 15 दिन पूर्व आपसी समझाईश व सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से इनकार कर दिया मौके पर बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि पर रास्ता कृषि भूमि पर पहुंच हेतु आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी ये आवेदन पत्र रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता हेतु पेश कर रहा है भूमि के मूल्य वृद्धि हेतु प्रार्थी यह आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि पर 15 फिट चौड़ाई का नवीन रास्ता सृजित नही कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया तो रास्ते के अभाव में हमेशा के लिए पड़त रह जायेगी, इससे प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वादकारण आज से लगभग 15 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण से सहमति से प्रार्थी को रास्ता देने व पूर्व मे मौजूद रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने से इनकार कर दिया तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है । अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 515 रकबा 0.2914 हैक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपूरा पटवार हल्का गोपालपुरा भू.अभि. नि. डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है पर पंहुच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 516 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा सं. 517 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा सं. 526 रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा भू.अभि.नि. डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में

My

...है से से 15 फिट चौड़ाई का तथा प्रार्थी की भूमि तक पहुंच की लम्बाई का रास्ता रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते के रूप में नोट अंकित करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं नवीन रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया की आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित किया गया मार्ग खसरा नं0 517,526 से होकर मार्ग पहुंच हेतु न्यूनतम है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरो पर रास्ता बना हुआ है। जो उपयोग में लिया जा रहा है एवं कोई अन्य रास्ता मौके पर पूर्व से नही है। आवेदक द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा की स्वयं की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 515 रकबा 0.2914 है0 पर पहुंच हेतु रास्ता आवेदित किया गया है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की सिवायचक भूमि खसरा सं0 517,526 से होकर न्यूनतम दुरी का रास्ता प्रस्तावित है। उक्त ख0 नं0 पर होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है। जो चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि राज0 सरकार सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा के सिवायचक ख0 नं0 526 रकबा 0.0124 है0 ख0नं0 517 रकबा 0.0368 है0 भूमि कुल किता 2 रकबा 0.0492 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होगी खसरा नम्बर 526 में रास्ते की लम्बाई 31 मी. चौडाई 4 मी0 एवं ख0नं0 517 में लम्बाई 92 मी. चौडाई 4 मी. आती है।

पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार नवीन रास्ता सर्जित किये जाने की अनुशंसा की।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0 सं0 515 रकबा 0.2914 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा पर आने जाने एवं कृषि उपकरण को लाने ले जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते को सृजित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच मार्ग नही होने से प्रस्तावित नवीन मार्ग सृजित किये जाने की अनुशंसा की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार तालेडा द्वारा न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता ख0सं0 526 रकबा 0.0124 हैक्टे0 एवं ख0सं0 517 रकबा 0.0368 हेक्टे0 में से गुजरता है। उक्त पहुंच मार्ग हेतु 15 फीट चौडाई का रास्ता देने हेतु ख0सं0 526 रकबा 0.0124 हैक्टे0 एवं ख0सं0 517 रकबा 0.0368 हेक्टे0 भूमि दर्ज होगी। कुल प्रस्तावित रकबा 0.0492 हैक्टे0 होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 515 रकबा 0.2914 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल गोपालपुरा तहसील तालेडा में आने-जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए सिवायचक आराजी खसरा संख्या ख0सं0 526 मे से रकबा 0.0124 हैक्टे0(लम्बाई 31 मीटर व चौडाई 4 मी0) एवं ख0सं0 517 मे से रकबा 0.0368 हेक्टे0 (लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 4 मी0) कुल भूमि 0.0492 है0 संलग्न नक्शा अनुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित किया जावे तथा रास्ता का सीमांकन किया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थीगण से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि का दुगुना राजकोष में नियमानुसार जमा किया जावे तत्पश्चात् राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा